# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**पत्रावली संख्या : 33/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

**बनाम**

1. यकुल गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता उम्र 34 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स प्रदीप प्रोविजन एण्ड किराना स्टोर, चौबुर्जा बाजार, भरतपुर निवासी चौबुर्जा बाजार भरतपुर।
2. श्रीमती बेबी गर्ग पत्नी श्री सुभाष चन्द अग्रवाल (मालिक) मैसर्स श्री हरी ट्रेडिंग कम्पनी, 20, प्रेम नगर, आदर्श कालौनी, भरतपुर।
3. रवि वर्मा (मालिक) मैसर्स किडिज फूड प्रोडक्ट, ए–81–82, सैक्टर 58, नोएडा–201301 (उ0प्र0)

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 24(1)&(2) एवं 26(2)(V)/52, 53, 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

## निर्णय

**दिनांक : 25.10.2021**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 24(1)&(2) एवं 26(2)(V)/52, 53, 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 15.04.2021 को प्रस्तुत



न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.10.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.09.2020 को दोपहर बाद 12.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स प्रदीप प्रोविजन एण्ड किराना स्टोर, चौबुर्जा बाजार, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आमजन के लिये विक्रय हेतु रैक में 400 ग्राम वजनी पैकिंग के 10 मूल सील्ड पैक देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/499/एक्ट/2020/520 दिनांक 23.09.2020 द्वारा उक्त देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 24(1)&(2) एवं 26(2)(v)/52, 53, 58 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स प्रदीप प्रोविजन एण्ड किराना स्टोर, चौबुर्जा बाजार भरतपुर से देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 10.09.2020 को दोपहर बाद 12.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) करीब 400 ग्राम वजनी पैकिंग के 10 मूल सील्ड पैक देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/499/एक्ट/2020/520 दिनांक 23.09.2020 के द्वारा उक्त देशी घी आटा कूकीज (किडिज ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ ( Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार U/S 24(1)(2) of FR&S Act 2006 & it is Misbranded food, contravention of the Regulation No. 2.2.1(13) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation 2011 की कमियां पाई गई है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52, 53, 58 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/–रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**न्याय निर्णयन अधिकारी**
**एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**भरतपुर (राज.)**